

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि० प्रा०(।।।) ब-०६/२०१२-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,  
अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट के मुख्यशीर्ष-३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-००, लघुशीर्ष-०९०-सचिवालय, मांग संख्या-४३, उपशीर्ष-०००३-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विपत्र कोड- N 3451000900003) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-२९४९, दिनांक १८.१२.२०१५ के द्वारा विभागान्तर्गत एक निष्प्रायोजित एवं रद्दीकृत वाहन के स्थान पर माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के उपयोग एक नया वाहन TATA SAFARI STORM VX 4x2 (Euro IV) के क्रय हेतु रू० १४,६३,०००=०० (चौदह लाख तीरसठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में उक्त राशि की अग्रिम निकासी कर अधिकृत विक्रेता को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन ५१ ०१ मोटरगाड़ी विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से रू० १४,६३,०००=०० (चौदह लाख तीरसठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

२. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक २५६१/वि(२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं पत्रांक १०४७१, दिनांक १६.१२.२०१५ के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

३. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

४. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, मांग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

५. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक- २८०/वि० दिनांक २९.०३.२००३ में अंकित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

६. व्यय विवरणी टी० भी० नं० एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के ७(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

७. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)  
अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक वि० प्रा०(१११) ब-०६/२०१२

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव,

ज्ञापांक - वि० प्रा०(१११) ब-०६/२०१२

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव,

ज्ञापांक - वि० प्रा०(१११) ब-०६/२०१२

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव,

ज्ञापांक - वि० प्रा०(१११) ब-०६/२०१२

37 (211) /पटना, दिनांक- 23/12/15

प्रतिलिपि -श्री संजय कुमार, आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक-3432, दिनांक 01.04.2015 के आलोक में कार्रवाई हेतु तथा ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/15

23/12/15  
अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

23/12/15